

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
उर्दू निदेशालय
कार्यालय आदेश

सं०-उ०नि०-01-10/2026-183/

पटना, दिनांक-30.06.2026

उर्दू निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के अधीन क्षेत्रीय कार्यालयों/आयोगों में पदस्थापित निम्नलिखित कर्मियों को स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तंभ-05 में अंकित कार्यालयों में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है :-

क्र० सं०	कर्मि का नाम एवं पदनाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन स्थान/कार्यालय	नव पदस्थापन स्थान/ कार्यालय
1	2	3	4	5
1	श्री मो० एहतेशाम वरीय उर्दू अनुवादक	कटिहार	बिहार राज्य सूचना आयोग, पटना	अनुमंडल कार्यालय, धमदाहा, पूर्णियां
2	श्रीमती आफरीन परवीन सहायक उर्दू अनुवादक	सिवान	अंचल कार्यालय, सदर गोपालगंज	समाहरणालय, पूर्णियां (जिला उर्दू भाषा कोषांग)
3	श्री मो० शहनशाह सहायक उर्दू अनुवादक	किशनगंज	प्रखंड कार्यालय, जयनगर, मधुबनी	प्रखंड कार्यालय, डगरुआ, पूर्णियां
4	श्री मो० ताज अली सहायक उर्दू अनुवादक	गयाजी	प्रखंड कार्यालय, सोनभदरा बंसी सूरजपुर, अरवल	प्रखंड कार्यालय, मखदूमपुर, जहानाबाद
5	श्रीमती रफात सुलताना सहायक उर्दू अनुवादक	मुजफ्फरपुर	समाहरणालय, समस्तीपुर (जिला उर्दू भाषा कोषांग)	समाहरणालय, पटना (जिला उर्दू भाषा कोषांग)
6	श्रीमती तसनीम सबा सहायक उर्दू अनुवादक	अररिया	अंचल कार्यालय, प्रतापगंज, सुपौल	समाहरणालय, किशनगंज (जिला उर्दू भाषा कोषांग)
7	श्री मो० नासिक हसन शाकरीन उच्चवर्गीय लिपिक (उर्दू)	नालन्दा	प्रखंड कार्यालय, वजीरगंज गया	प्रखंड कार्यालय, अकबरपुर, नवादा
8	श्री गुलाम सरवर उच्चवर्गीय लिपिक (उर्दू)	नालन्दा	प्रखंड कार्यालय, मझौलिया, प० चम्पारण	प्रखंड कार्यालय, विदुपुर, वैशाली
9	श्री मो० मोजाहिद आलम उच्चवर्गीय लिपिक (उर्दू)	अररिया	प्रखंड कार्यालय, नवगछिया, भागलपुर	प्रखंड कार्यालय, बायसी, पूर्णियां
10	श्री मो० रियाजुद्दीन अहमद उच्चवर्गीय लिपिक (उर्दू)	पटना	प्रखंड कार्यालय, टेढ़ागाछ, किशनगंज	प्रखंड कार्यालय, गरखा, सारण

2. उपर्युक्त स्थानांतरित कर्मि जुलाई, 2026 का वेतन अपने नवपदस्थापन स्थान/कार्यालय से प्राप्त करेंगे।

3. सभी नियंत्री पदाधिकारी से अनुरोध है कि उपरोक्त स्थानांतरित कर्मियों को अपने नवपदस्थापन कार्यालय में योगदान देने हेतु माह-जुलाई, 2026 के प्रथम सप्ताह में निश्चित रूप से विरमित कर देंगे।

4. उपरोक्त सभी कर्मि का स्थानांतरण उनके अभ्यावेदन के आलोक में किया गया है। अतः स्थानांतरण अनुदान देय नहीं है।

5. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

6. इसमें विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

(एस०एम० परवेज़ आलम)

अपर सचिव-सह-निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-उ०नि०-01-10/2026-1297/

पटना, दिनांक-30.06.2026

- प्रतिलिपि :- संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। निदेश है कि सभी स्थानांतरित/पदस्थापित कर्मी अपने-अपने नवपदस्थापन कार्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे तथा इसकी सूचना निदेशालय को भी देंगे।
- प्रतिलिपि :- संबंधित कार्यवाह सहायक, उर्दू निदेशालय को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- प्रबंधक आई०टी०, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार राज्य सूचना आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस०एम० परबेज़ आलम)

अपर सचिव-सह-निदेशक।

30/6